

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क. जेपीडी/उपमुअ(आर.ई.एण्ड प्लान)/अधी.अभि./आर.ई./प.1200/पे.

1223

दि. 2/9/08


आदेश

समन्वय समिति की दिनांक 26.08.08 को आयोजित 121वीं बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में निम्न आदेश दिये जाते हैं:-

कृषि कनेक्शन के लिये आर.ई.ओ.-190 के अनुसार अप्रैल/मई-08 में जारी किये गये मांग पत्र, किसी कारणवश कुछ कृषक जमा नहीं करा सके एवं उनकी कृषि कनेक्शन पत्रावलिया निरस्त हो गयी है, उनको मांग पत्र जमा कराने हेतु एक अवसर और दिया जाता है।

उक्त कृषि कनेक्शन पत्रावलियां निम्नलिखित प्रावधानों के तहत ही पुर्नजीवित की जावेगी-

1. आवेदक जिनकी कृषि कनेक्शन पत्रावलियां मांग पत्र की राशि जमा न करवाने के कारण निरस्त हो गयी है, उन्हें निगम द्वारा पुर्नजीवित करने के लिये 500/- रु. जमा करवाने हेतु दिनांक 30.09.08 तक रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा।
2. मांग पत्र की राशि 15.10.08 से 31.10.08 तक जमा करानी होगी अन्यथा पत्रावली अन्य किसी सूचना के रद्द कर दी जावेगी।
3. इन पुर्नजीवित कृषि कनेक्शन पत्रावलिया की प्राथमिकता मांग पत्र की राशि जमा होने की तिथि से निर्धारित की जायेगी।



(एम.एल.गुप्ता)

उप मुख्य अभियन्ता (आर.ई.एण्डप्लान)  
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-उर्जा सचिव,राजस्थान सरकार,जयपुर ।
- 2-प्रबन्ध निदेशक,अजमेर विद्युत वितरण निगम लि,अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.जोधपुर को उक्त प्रकार के आदेश जारी करने हेतु ।
- 3-निदेशक (तकनीकी/वित्त) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर ।
- 4-मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
- 5-सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (जयपुर/कोटा जोन) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/कोटा ।